सोशल मीडिया सेल जनपद आजमगढ़

पत्र संख्याः -92/प्रेसनोट/2021 **19 फरवरी 2021**

प्रेस –विज्ञप्ति

थाना जहानागंज

दुराचार के अभियुक्त प्रधान पति गिरफ्तार

दिनांक 17.2.2021 को हेमा (काल्पनिक नाम) थाना जहानागंज जनपद आजमगढ द्वारा लिखित तहरीर दी गयी कि उसके ग्राम के प्रधान पति सन्तोष राम पुत्र बरसाती राम ग्राम अमठागोपालपुर थाना जहानागंज आजमगढ़ द्वारा शौच करने गयी हेमा को प्रधान पति व भतिजे द्वारा अपने घर ले जाकर दुष्कर्म किया गया है। इस सूचना थाना स्थानीय मु0अ0स0 0038/21 धारा 376डी/506 भादवि पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्री सुधीर कुमार सिंह द्वारा उक्त प्रकरण को संज्ञान में लेते अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया। जिसके क्रम में आज दिनांक 19.02.2021 को उ0नि0 मनीष कुमार उपाध्याय मय हमराह द्वारा मु0अ0सं0-38/21 धारा 376डी/506 भादवि से सम्बन्धित वाछिंत अभियुक्त सन्तोष राम पुत्र बरसाती राम ग्राम अमठागोपालपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ को समय करीब 05.55 बजे अभियुक्त को उनके घर से गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पूछताछ विवरणः- अभियुक्त सन्तोष राम पुत्र बरसाती राम ग्राम अमठागोपालपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ जुर्म से इन्कार कर अपनी सफाई माननीय न्यायालय मे वकील के माध्यम से देना बता रहा है।

पंजीकृत अभियोगः-

1- मु0अ0सं0 0038/21 धारा 376डी/506भादवि, थाना-जहानागंज, आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्तः-

1- सन्तोष राम पुत्र बरसाती राम ग्राम अमठागोपालपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरणः-

1-उ0नि0 मनीष कुमार उपाध्याय

2-का0 धनन्जय मौर्या

5-का0 सुबाष चन्द यादव

6-म0का0 रागिनी सिंह

थाना अतरौलिया

जान से मारने की धमकी देने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

आज दिनांक 19/2/21 को ताहिर पुत्र इशहाक ग्राम भैरोपुर दरगाह थाना अतरौलिया द्वारा थाना स्थानीय पर मु32 सं0अ0/2021धारा 323/455/504/506 ipc थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ पंजीकृत कराया गया जिसमे अभियुक्त इरशाद पुत्र मो सुल्तान ग्राम हरीपुर थाना हसनपुर समस्तीपुर बिहार को अपने भाई व लड़के के साथ गिरफ्तार करके थाना 0 वादी ने उठकर ,बजे सुबह वादी के घर में आवाज आई 4 लाया गया वादी अपने परिवार सहित घर में सो रहा था समय करीब देखा कि इरशाद पुत्र मो अपने हाथ में एक डण्डा (बिहार) समस्ती पुर -हसनपुर जिला -थाना ,हरीपुर -सुल्तान निवासी ग्राम 0 माल की धमकी देते हुए एक डण्डा मारा जिससे फरजाना को – भद्दी गाली व जान– लिए वादी के लड़की फरजाना को भद्दी चोट लग गयी। वादी जब मना किया तो कहा किआज मै पूरे परिवार को मार दूँगा क्योकि मेरे ऊपर तुम्हारी लड़की फरजाना ने मुकदमा लिखवाया है। जब मुझसे शादी नही करना था तो मुझे टेलीफोन से क्यों बुलवाया। जब घर में जोर जोर की आवाज आने लगी तो वादी की पत्नी रिजवाना तथा भाई साबीर व लड़का साहिल सब जग गयें और आकर इरशाद को पकड़ लिए अभियुक्त इरशाद को पकड़ कर मय डण्डा सहित थाने लाये

थानाबरदह -

01 वारण्टी गिरफ्तार

आज दि19 0.02. संजय सिह 0नि0को उ 2020मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र चेकिग संदिग्ध व्यक्ति वाहन व जांच/ प्रार्थना पत्र व तलाश वारण्टी हेत ग्राम केदलीपुर मे मौजूद थ े तो ज्ञात हुआ की वारण्टी हरित्रिपुरारी पुत्र सीता राम सा 0 केदलीपुर थाना बरदह जनपद आजमगढ अपने घर पर मौजूद है यदि जल्दी किया जाय तो पकडा जा सकताहै इस पर विश्वास कर उ के प्रस्थान कर वारण्टी के घर केदलीपुर पहुचा तथा उसके घर के पास एक व्यक्ति कुर्सी 0मय हमराही का 0नि0 0 पर बैठा हुआ था। पास जाकर उस व्यक्ति का नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम हरित्रिपुरारी पुत्र सीता राम सा केदलीपुर थाना बरदह जनपद आजमगढ बताया चूकि हरित्रिपुरारी पुत्र सीता राम सा केदलीपुर थाना बरदह जनपद 0

-संख्या 0 आजमगढ के विरूद्ध माननीय न्यायालय अपर प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय चतुर्थ जनपद जौनपुर के मु 880/2019 शीला बनाम हरित्रिपुरारी अन्तर्गत धारा थाना गौराबादशाहपुर जन 0सं0प्र0द 128पद जौनपुर ता 0पे0 19.02. वारण्ट प्राप्त है अत 2021: हरित्रिपुरारी उपरोक्त को वारण्ट के संबंध मे अवगत कराते हुए कारण गिरफ्तारी बता कर समय करीब 11. बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया दौराने गिरफ्तारी माननीय मानवाधिकार आयोग व सर्वोच्च न्यायालय 10 के आदेशो व निर्देश ो का अक्षरशः पालन किया गया। तथा वास्ते पेश करने संबंधित माननीनय न्यायालय अपर प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय चतुर्थ जनपद जौनपुर रवाना किया गया।